



बिहार सरकार  
परिवहन विभाग  
आदेश

पत्रांक-05/स्था0(मुकदमा)-11/2014 ....

पटना:-15, दिनांक-

श्री नरेश पासवान, तत्कालीन, जिला परिवहन पदाधिकारी, नवादा को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना के धावादल द्वारा रंगे हाथों रू0 45000/- (पैंतालीस हजार रूपये) मात्र रिश्वत लेते पकड़े जाने एवं न्यायिक हिरासत में लिये जाने के बाद इनके विरुद्ध निगरानी थाना कांड सं0-048/2008 दर्ज किया गया। इसकी सूचना जिला पदाधिकारी, नवादा से प्राप्त होते ही कार्यालय आदेश सं0-4771, दिनांक-30.07.2008 द्वारा श्री पासवान को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-9 के तहत निलंबित किया गया तथा निम्न आरोपों के लिए इनके विरुद्ध आरोप प्रपत्र 'क' गठित किया गया :-

(i) इन्होंने जिला परिवहन पदाधिकारी, नवादा के पद पर पदस्थापन अवधि में दिनांक- 30.07.2008 को निगरानी विभाग, बिहार, पटना की जाँच टीम द्वारा परिवादी श्री पिन्दू सिंह से रू0 45000/- (पैंतालीस हजार रूपये) मात्र रिश्वत लेते हुए जिला परिवहन पदाधिकारी, नवादा को नवादा स्थित इनके आवास पर रंगे हाथ पकड़ा गया। साथ ही इनके सरकारी आवास की तलाशी के क्रम में रू0 9,000/- (नौ हजार रूपये) मात्र नकद एवं तीन जमीन का केबाला एवं भारतीय स्टेट बैंक, खगड़िया शाखा के खाता सं0-01190019586 का पासबुक मिला।

(ii) इनके द्वारा घूस के रू0 45000/- (पैंतालीस हजार रूपये) मात्र को स्वीकार करने के पश्चात निगरानी जाँच टीम द्वारा इनके चितकोहरा, पटना स्थित घर की तलाशी ली गयी जहाँ से अन्य सामानों के अतिरिक्त रू0 4,14,300/- (चार लाख चौदह हजार तीन सौ रूपये) मात्र नकद की बरामदगी हुई।

(iii) उक्त घटना के संबंध में इनके विरुद्ध दर्ज निगरानी थाना काण्ड सं0 048/2008 में ये प्राथमिकी अभियुक्त है। इनके विरुद्ध धारा-7/13(2)-सह-पठित धारा-13 (1) (डी) भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 के तहत उक्त काण्ड दर्ज किया गया है।

(iv) बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के नियम-3 (1) (i),(ii),(iii) का इन्होंने उल्लंघन किया है।

(v) श्री पासवान एक भ्रष्ट पदाधिकारी है और सरकारी सेवा में रखे जाने के योग्य नहीं है।

2. उक्त आरोपों के लिए विभागीय आदेश सं0-5797, दिनांक-16.09.2008 द्वारा इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही चलाने का निर्णय लिया गया। विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री संत प्रसाद उपाध्याय, संयुक्त सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी तथा श्री राजीव नयन कुमार, प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-5, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

3. श्री पासवान दिनांक-31.07.2009 को वार्धक्य सेवानिवृत्त होने वाले थे इसके मद्देनजर विभागीय आदेश सं0-3497, दिनांक-31.07.2009 द्वारा इन्हे निलंबन मुक्त किया गया।

4. इन्हें विभागीय ज्ञापांक सं0-153, दिनांक-22.06.2010 द्वारा 90 प्रतिशत औपबंधिक पेंशन एवं ज्ञापांक-152, दिनांक-22.06.2010 द्वारा 90 प्रतिशत उपदान की राशि स्वीकृत किया गया। इन्हें गुप बीमा एवं अव्यवहृत अवकाश के बदले समतुल्य राशि का भुगतान भी किया जा चुका है।

5. संचालन पदाधिकारी का अधिगम दिनांक-30.03.2009 को विभाग को प्राप्त हुआ। अधिगम से असहमत होते हुए कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र सं0-2324, दिनांक-10.07.2007 के प्रावधानानुसार पुनः विभागीय कार्यवाही चलाने का निर्णय लिया गया। इसी बीच संचालन पदाधिकारी श्री संत प्रसाद उपाध्याय, संयुक्त सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना सेवानिवृत्त हो गए। तत्पश्चात् कार्यालय आदेश सं0-4996, दिनांक-09.10.2009 द्वारा श्री पासवान के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालन हेतु श्री एम0 एच0 रहमान, सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, गया को संचालन पदाधिकारी तथा विभागीय आदेश सं0-6556, दिनांक-18.12.2009 द्वारा जिला परिवहन पदाधिकारी, नवादा को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

6. चूँकि श्री पासवान दिनांक-31.07.2009 को सेवानिवृत्ति हो चुके थे, फलस्वरूप विभागीय आदेश सं0-1785, दिनांक-27.04.2011 द्वारा इनके विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (ख) के अन्तर्गत संचालित करने की स्वीकृति दी गई।

7. मगध क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, गया के पत्रांक- 536, दिनांक-30.12.2011 द्वारा संचालन पदाधिकारी का अधिगम विभाग को प्राप्त हुआ। प्राप्त अधिगम में श्री पासवान के विरुद्ध गठित सभी आरोप प्रमाणित पाये गये।

8. संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन जिसमें सभी आरोप प्रमाणित पाये गये थे, के सम्यक् समीक्षोपरांत विभाग द्वारा श्री पासवान को बिहार पेंशन नियमावली के नियम-43 (क) के तहत विभागीय आदेश सं0-880, दिनांक-12.02.2014 द्वारा निम्न दण्ड संसूचित किया गया :-

(i) पूर्ण पेंशन पर सदा के लिए रोक,

(ii) निलंबन अवधि 30.07.2008 से 31.07.2009 तक में इनको जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा।

9. उक्त दण्डादेश के विरुद्ध श्री पासवान द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में CWJC No-11185/2014 नरेश पासवान बनाम बिहार राज्य तथा अन्य दाखिल किया गया। माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा उक्त वाद की सुनवाई करते हुए दिनांक-03.01.2018 को न्यायादेश पारित किया गया जिसमें विभागीय कार्यवाही के संचालन को प्रक्रियात्मक दोष मानते हुए विभाग द्वारा पारित दण्डादेश सं0- 880, दिनांक-12.02.2014 को निरस्त कर दिया गया। साथ ही माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह आदेश पारित किया गया की " However, it would be open to the disciplinary authority to proceed afresh in accordance with the procedure prescribed in the Bihar CCA Rules after giving due opportunity to the petitioner applying the principles of natural justice.

In view of the quashing of Annexure I that is the order of punishment dated 12.02.2014, the petitioner would be entitled to all his consequential benefits.

With the aforesaid direction, the writ petition is allowed."

उक्त न्यायादेश के आलोक में नैसर्गिक न्याय के तहत विभागीय पत्रांक-4564 दिनांक-11.07.2018 द्वारा आवेदन के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु श्री पासवान को निदेश दिया गया। श्री पासवान द्वारा आवेदन के माध्यम से दिनांक-16.07.2018 को अपना पक्ष विभाग के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा स्पष्टीकरण को तथ्यहीन मानते हुए इनके विरुद्ध संलग्न आरोपों की वृहद जाँच बिहार पेंशन नियमावली के नियम-43 (ख) एवं नैसर्गिक न्याय के तहत कराने का निर्णय लिया गया।

10. उक्त विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु विभागीय संकल्प सं0-4927, दिनांक-31.07.2018 द्वारा संचालन पदाधिकारी, संयुक्त सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को एवं उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी, उप सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को नियुक्त किया गया है।

11. सी0डब्लू0जे0सी0नं0-11185/2014 में पारित न्यायादेश का अनुपालन नहीं किये जाने के विरुद्ध श्री पासवान द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में अवमाननावाद सं0-1257/2018 नरेश पासवान बनाम बिहार राज्य तथा अन्य दाखिल किया गया। उक्त अवमाननावाद में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक-05.09.2018 को आदेश पारित किया गया जिसका कार्यकारी अंश निम्नवत् है:-

Counsel for opposite parties submits that they will file supplementary show cause placing on record steps taken in compliance with order dated - 03.01.2018 to the extent of petitioner's entitlement to consequential benefits, within a period of three weeks.

उक्त पारित आदेश के आलोक में श्री नरेश पासवान, सेवानिवृत्त जिला परिवहन पदाधिकारी को पूर्ण पेंशन की रोक की तिथि-12.02.2014 से 90 प्रतिशत औपबधिक पेंशन पुनः स्वीकृत किया जाता है। यह स्वीकृति श्री पासवान के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही के फलाफल से प्रभावित होगी।

ह0/-

(शिव बचन सिंह)

सरकार के अवर सचिव,

ज्ञापांक :-05/स्था0(मुकदमा)-11/2014 ....

पटना-15, दिनांक :-

प्रतिलिपि:-कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के अवर सचिव,  
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :-05/स्था0(मुकदमा)-11/2014 .... 6165

पटना-15, दिनांक :- 25/9/18

प्रतिलिपि :-महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना/माननीय मंत्री, परिवहन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार के आप्त सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-3 परिवहन विभाग, बिहार, पटना/लेखा शाखा, परिवहन विभाग, बिहार, पटना/श्री नरेश पासवान, जिला परिवहन पदाधिकारी (सेवानिवृत्त), मोहल्ला-चितकोहरा बस्ती, पो0-अनीसाबाद, थाना-गर्दनीबाग, जिला-पटना, पिन कोड-800002/आई0टी0 मैनेजर (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु परिवहन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव,

